निग 13248/I/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–कटनी

मैसर्स दयाल ओरियंटल मेल स्पीड ट्रान्सपोर्ट सर्विस द्वारा भागीदार सनमुख दास सावधानी, कीमतराव सावधानी, निवासी – शांतिनगर, कटनी (म.प्र.)

-- आवेदक

बनाम

1. नितिनलाल पुत्र इम्मानुएल लाल, निवासी बेंकटवार्ड, कटनी, तहसील व जिला कटनी
2. प्रभुदयाल कोडवानी पुत्र स्व. मेघराजमल निवासी चमन कोल्ड स्टोरेज, आई.टी.आई. के पास दमोह नाका, जबलपुर म.प्र.
3. विनोद कुमार चतुर्वेदी पुत्र विश्वनाथ पाण्डे निवासी मदनमोहन वार्ड, हीरोहोण्डा शोरूम के पास, जबलपुर रोड, कटनी, म.प्र.
4. श्रीमती आशा साहनी पत्नि सुरेन्द्र साहनी निवासी बरही रोड, कटनी म.प्र.
5. शीतलदास पुत्र गेलामल, निवासी वीनस होटल, नई बस्ती, कटनी म.प्र.
6. राजेश पुत्र चन्दीराम, निवासी कटनी,
7. राजकुमार पुत्र भोजराज, निवासी कटनी
8. रामचन्द्र पुत्र नच्चड़मल, निवासी माधव नगर, कटनी म.प्र.
9. नरेश कुमार पुत्र हेमनदास, शांतिनगर, कटनी म.प्र.
10. ऊधमदास पुत्र आसूमल, निवासी कटनी
11. प्रकाश कुमार पुत्र चांडूमल, निवासी कटनी म.प्र.
12. किशन चन्द पुत्र बलराम दास, निवासी कटनी म.प्र.
13. रमेश कुमार पुत्र वीधीमल, निवासी कटनी
14. श्रीमती इन्दू जायसवाल पुत्र राजकुमार, निवासी स्टेशन रोड, कटनी म.प्र.
15. विमल साहनी पुत्र मुंशीराम साहनी, निवासी स्टेशन रोड, कटनी म.प्र.
16. राजकुमार पुत्र स्व. रामचन्द्र कोडवानी,
17. सुनील कुमार पुत्र स्व. रामचन्द्र कोडवानी,

18. जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री रमेश कोडवानी,
निवासी जबलपुर (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक शिका./131/बी-121 /2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण की जिस भूमि को हडपने तथा उन्हे उससे बेदखल कर उन्हे क्षति पहुँचाने व ब्लैक मेल करने के उद्देश्य से की गयी जिस झूठी शिकायत पर जबलपुर संभाग के कमिश्नर जबलपुर म.प्र. के पत्र क्रमांक 1008/एक-3/73/2014 दिनांक 19.04.2014 के आधार पर पटवारी तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी से जॉच प्रतिवेदनों को मंगवाकर अपर कलेक्टर कटनी द्वारा उक्त प्रश्नाधीन आदेश पारित करवाया गया है। वह ग्राम टिकुरी प.ह.न.-43 न.ब 188 रा.नि.म. पहाडी तहसील व कटनी पुराना जिला जबलपुर (म.प्र.) के अन्तर्गत स्थित है। जिसका मूल खसरा नं. 20/1 रकवा 3.74 है0 (एक एकड चौहतर डिसमिल) खसरा नं. 20/2 रकवा 1.86 एकड़ (एक एकड छियालिस डिसमिल) कुल रकवा 5.60 एकड है। जिसमें से ही खसरा नं. 20/1 का रकवा 3.74 एकड खसरा नं. 20/2 का रकवा 1.88 एकड में से 0.86 एकड (शून्य दशमलव छियासी एकड) कुल रकवा 4.60 एकड भूमि मेघराज बापू मल वीधोमल, उधमदास, हेमनदास, नच्चड़मल, चाण्डूमल, भोजराज एवं चंदीराम के तत्कालीन भूस्वामी कब्जेदार श्रीमती शीला क्रिश्चियन से दिनांक 08.08.1962 के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है। तभी से वह उसमें अपने-अपने वारिसानों के साथ मौके पर व्यापार कर काबिज है जिसमें सन् 1963 से हीं कम्पाउण्ड दीवाल इत्यादि बनी हुयी है।

2. यहकि, इन्ही क्रेताओं ने दिनांक 16.09.1963 को उक्त क्रयशुदा भूमि का आपसी मय पंजीकृत बंटवारा करा लिया था जिसमें से ही 57149.5 वर्ग मीटर भूमि आवेदकगण मेसर्स दयाल ओरियंट मेल स्पीड ट्रान्सपोर्ट सर्विस कम्पनी ने अपने भूमि स्वामी कब्जेदार मेघराज, सोमराज, रामचन्द्र, प्रभूदयाल, धन्नामल, बीधोमल, अर्जुनदास से क्रय कर मौके पर काबिज है जिसकी पुष्टी इन्ही लोगों द्वारा निष्पादित किये गये वयनामा एवं वयनामा के साथ संलग्न नक्शा दिनांक 07.04.1980 से होती है।

3. यहकि, उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरों की तयशुदा 4.60 एकड भूमि के उत्तर में ए.सी.सी रोड एवं एन.सी नाम का बंगला दक्षिण में तखतमल की भूमि पूर्व में ही एन.सी नाम का बंगला तथा वयशुदा भूमि का अंश तत्पश्चात् सरकारी भूमि सीमेंट रोड़ पश्चिम में मिर्जापुर रोड़ है तथा तत्कालीन भू-स्वामी कब्जेदार श्रीमती शीला क्रिश्चियन बेवा फैड्रिक क्रिश्चियन थी जिसकी पुष्टि संलग्न 1906-07 की मिसल बंदौबस्त से होती है जिसमें से ही खसरा नं. 20/2 रकवा 1.86 एकड़ में से 0.63 एकड़ का भू भाग द्वारका प्रसाद पुत्र कंधीलाल बानी के

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – कटनी

प्रकरण कमांक – निग0 3248–एक / 15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन में इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी आवेदन को अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील के रूप में प्रस्तुत किए जाने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध करते हुए बताया गया कि इस प्रकरण के अनावेदक क्र0 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका कमांक 7843 / 2016 का निराकरण (उभयपक्ष के मध्य समझौता हो जाने से) दिनांक 3–10–17 को करते हुए याचिका निरस्त कर दी गई है । आवेदन में यह भी कहा गया कि कलेक्टर के आलोच्य आदेश के विरूद्ध कुछ पक्षकारों द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में अपीलें पेश की गई हैं, जबकि त्रुटिवश उनके द्वारा इस न्यायालय में निगरानी पेश की गई है । अतः आवेदक को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से निगरानी वापिस किए जाने के दिनांक तक व्यतीत हुए समय को माफ करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन उन्हें अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये । विचारोपरांत आवेदक अधिक्ता का आवेदन स्वीकार किया जाता है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल निगरानी आवेदन आदि आवेदक को अपर आयुक्त के न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस किए जायें तथा उनकी छायाप्रतियां इस प्रकरण में रखी जायें । न्यायहित में आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु आज दिनांक से 30 दिवस का समय दिया जाता है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त अवधि में आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है तो अपर आयुक्त अपील को समयावधि में मान्य कर उसका निराकरण गुणदोषों पर उभयपक्षों को सुनकर विधिवत करें । यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	